अनुदान संख्या 104 – युवा मामले और खेल मंत्रालय
GRANT No. 104–MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	753,21,00		828,26,00	719,97,10	–108,28,90
पूरक	Supplementary	75,05,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					88,77,62
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	26,79,00		97,00,00	96,63,04	–36,96
पूरक	Supplementary	70,21,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (10828.90 लाख रु.) अगस्त, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 7505.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.10828.90 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.7505.00 lakhs obtained in August, 2007 and March, 2008 and constituted 13 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2204" खेलकूद तथा युवा सेवाएं	Major Head "2204" Sports and Youth Services				
मू.	O.	62570.00			
पू.	S.	7503.00	66475.79	65828.87	–646.92
पु.	R.	–3597.21			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	6925.00	580.57	. .	–580.57
पु.	R.	–6344.43			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	4777.00	5785.02	5204.47	–580.55
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	1006.02			

(I) 7459.00 लाख रु. का प्रावधान अट्ठाईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 6705.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2204" - "खेलकूद और खेल - अशक्त लोगों के बीच खेलों का संवर्धन" - 500.00 लाख रु. स्कीम का प्रतिपादन न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "खेलकूद और युवा सेवाएं - निदेशन और प्रशासन - नेहरू युवा केंद्र" - 1000.00 लाख रु.;

(ख) "खेलकूद और युवा सेवाएं - गैर छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" -

(i) "राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक स्कीम" - 150.00 लाख रु.;

(ii) "किशोर कल्याण एवं विकास स्कीम" - 150.00 लाख रु.;

(I) Provision of Rs.7459.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty eight heads; of these Rs.6705.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2204" – "Sports and Games - Promotion of Sports among disabled" - Rs.500.00 lakhs - due to non-formulation of the Scheme.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Sports and Youth Services – Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra" - Rs.1000.00 lakhs;

(b) "Sports and Youth Services – Youth Welfare Programme for Non Students" –

(i) "National Service Volunteer Scheme" - Rs.150.00 lakhs;

(ii) "Scheme for Welfare and Development of Adolescents" - Rs.150.00 lakhs;

(iii) ''राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन के लिए स्कीम'' - 120.00 लाख रु.;

(गा) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल'' -

(i) ''राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता'' - 600.00 लाख रु.;

(ii) ''भारतीय खेल प्राधिकरण'' - 3085.00 लाख रु.; और

(iii) ''खेलकूद कार्यकलापों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन (ग्रामीण खेल कार्यक्रम)'' - 500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घ) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' - 600.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2204'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन'' -

(क) ''नेहरू युवा केंद्र संगठन'' - 4647.70 लाख रु. की बचत (7842.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' - 246.07 लाख रु. की बचत (673.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की

(iii) "Scheme for Promotion of National Integration" - Rs.120.00 lakhs;

(c) "Sports and Youth Services- Sports and Games" -

(i) "Assistance to National Sports Federations - Rs.600.00 lakhs;

(ii) "Sports Authority of India" - Rs.3085.00 lakhs; and

(iii) "Incentive for Promotion of Sports Activities (Rural Sports Programme)" - Rs.500.00 lakhs.

Provision under the above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(d) "Sports and Youth Services – Youth Welfare Programme for Students - National Service Scheme" - Rs.600.00 lakhs- due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and availability of unspent balance of previous year.

(II) Under Major Head "2204" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Directions and Administration" -

(a) "Nehru Yuva Kendra Sangathan" - saving of Rs.4647.70 lakhs (against the sanctioned provision Rs.7842.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years.

(b) "National Service Scheme" - saving of Rs.246.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.673.00 lakhs) was due to

तुलना में) विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - किशोरों के विकास और सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम'' - 107.91 लाख रु. की बचत (330.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न अनुदानग्राही संगठनों द्वारा अपेक्षित ब्योरे प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम'' -

(क) ''राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक स्कीम'' - 400.00 लाख रु. की बचत (1350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''राष्ट्रीय सद्भावना योजना'' - 200.00 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वजीफा की दरों में संशोधन न किए जाने के कारण हुईं।

(घा) ''खेलकूद और खेल'' -

(क) ''खेलकूद कार्यकलापों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन'' - 1794.49 लाख रु. की बचत (6200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और स्कीम का पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के साथ विलय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण संबंधी स्कीम'' - 500.00 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण

non-receipt of demand from various regional centres.

(B) “Youth Welfare Programmes for Students - Scheme of financial assistance for Development and Empowerment of Adolescents” – saving of Rs.107.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.330.00 lakhs) was due to non-submission of required details by various grantee organisations.

(C) “Youth Welfare Programmes for Non-students” -

(a) “National Service Volunteers Scheme” - saving of Rs.400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1350.00 lakhs); and

(b) “Rashtriya Sadbhawna Yojana” - saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-revision of rates of stipends.

(D) “Sports and Games” –

(a) “Incentives for promotion of Sports Activities” – saving of Rs.1794.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6200.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year and merger of scheme with Panchayat Yuva Krida Aur Khel Abhiyan.

(b) “Scheme relating to talent Search and Training” – saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs 800.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals.

(III) Under Major Head “3601” – “Non-Plan Grants – Sports and Youth Services – Youth Welfare

कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' के अंतर्गत 209.11 लाख रु. की बचत (276.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्य सरकारों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) चार शीर्षों के अंतर्गत 283.39 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.0 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत से 87 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5292.12 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 7505.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2204'' - ''खेलकूद और खेल'' -

(क) ''राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता'' - 304.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 194.60 लाख रु. था।

(ख) ''भारतीय खेल प्राधिकरण'' - 919.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 918.00 लाख रु. था।

(ग) ''मादक औषध (डोप) परीक्षण संबंधी स्कीम'' - 400.00 लाख रु.।

(घ) ''पुरस्कार संबंधी स्कीम'' - 1429.60 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1429.02 लाख रु. था।

(ङ) ''राष्ट्रमंडल खेल'' - 1500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1498.00 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' - 739.02

Programme for Students – National Service Scheme" – saving of Rs.209.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.276.00 lakhs) was due to non-receipt of demands from various State Governments.

(IV) Under four heads savings of Rs.283.39 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 36 percent to 87 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.5292.12 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.7505.00 lakhs under the following major heads:

(A) Major Head "2204" – "Sports and Games" -

(a) "Assistance to National Sports Federations" - Rs.304.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.194.60 lakhs.

(b) "Sports Authority of India" - Rs.919.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.918.00 lakhs.

(c) "Scheme for Dope Test" - Rs.400.00 lakhs.

(d) "Scheme relating to Awards" - Rs.1429.60 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1429.02 lakhs.

(e) "Commonwealth Games" - Rs.1500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1498.00 lakhs.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Sports and Youth Services – Youth Welfare Programmes for Students – National

लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 731.22 लाख रु. था।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 54.92 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 79.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

Service Scheme" – Rs.739.02 lakhs. Actual excess, however, was Rs.731.22 lakhs.

(II) Under one head excess of Rs.54.92 lakhs occurred constituting 30 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.79.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.